

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.18(36)नविवि/एनएएचपी/2014पार्ट

जयपुर, दिनांक: 8 FEB 2017

आदेश

विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.10.2015 के निरन्तरता में मुख्यमंत्री जन आदास योजना-2015 के तहत आवेदित समस्त प्रकरणों में पॉलिसी के प्रावधानानुसार अनुमोदित योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आयवर्ग (ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी.) क्षेत्र हेतु फायरसेस हेतु ली जाने वाली राशि में पूर्णतया छूट दी जाती है।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, समस्त।
6. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. सचिव, नगर विदास न्यास समस्त।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम